फोन/फैक्स : 0771-2445621

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

छत्तीसगढ़ शासन
कार्यालय :- भगतसिंह चौक के पास, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल : staayog48@gmail.com
वेब साइट : www.cgstcommission.org

क्रमांक 1405 /अ.ज.जा.आ./ //प्रकरण कमांक–345/2021// रायपुर, दिनांक 30/5/2024

प्रति

आयुक्त,
सरगुजा संभाग,
(छत्तीसगढ़)

विषय :– **परसाकोल ब्लाक के विरोध के संबंध में।**

––00––

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आवेदकगण मुंशीप्रसाद पोर्ते, रामलाल करियाम, कवलसाय पोर्ते, मंगलसाय, हीरासाय, फूलसाय, दुलेश्वर सिंह, मातीराम, रामसिंह, भुनेश्वर एवं अन्य 41 ग्रामवासी ग्राम–साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर विकासखंड उदयपुर, जिला–सरगुजा तथा ग्राम–तारा, चारपारा, जर्नानपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगणों के आवेदन पर विचार कर संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिनियम–1995 के अध्याय–3 की धारा–09 एवं 10 की उपधारा (क) एवं (ख) के तहत पंजीयन किया गया है।

आवेदकगणों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि– सरगुजा जिला के उदयपुर ब्लाक के ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर तथा जिला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम–तारा, चारपारा, जर्नादनपुर ग्रामों मे परसाकोल ब्लाक हेतु शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उक्त सभी ग्राम पांचवी अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है। आवेदकगणों के द्वारा परसाकोल ब्लाक के विरोध में कई आवेदन शासन प्रशासन को दिया जा चुका है किन्तु अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शासन, प्रशासन के द्वारा फर्जी ग्राम सभा कराकर पर्यावरण स्वीकृति हासिल कर ली गई है। जबकि पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पेशा कानून 1996 में यह प्रावधान किया गया है कि पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के पूर्व ग्रामसभा की सहमति आवश्यक है। आवेदकगणों ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित परसाकोल ब्लॉक हेतु तीन गांव की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही ग्रामसभा स्वीकृति लिए बिना ही सम्पादित कर दी गई है, जिसका आवेदकगणों द्वारा विरोध करते हुए फर्जी ग्राम सभा को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

क्रमशः–2

इस संबंध में आयोग द्वारा प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए आयोग के पत्र क./8781, दिनांक–11.02.2022 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सूरजपुर से जॉच प्रतिवेदन चाहा गया था। जिस पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर, जिला–सरगुजा ने अपने कार्यालयीन पत्र क./250/मु.लि./2022, उदयपुर, दिनांक–17.03.2022 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया, जिसमें लेख किया गया है कि–

1– सचिव के कथन तथा प्रस्ताव पंजी के आधार पर ग्राम–हरिहरपुर में दिनांक–24.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया जाना पाया गया है। इस ग्रामसभा में कुल 22 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। प्रस्तुत समस्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

2– ग्राम–साल्ही में दिनांक–23.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था किन्तु गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया था। पुनः दिनांक–27.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया तथा इस ग्रामसभा में कुल 23 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। प्रस्तुत समस्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

इस संबंध में आवेदक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेज अनुसार–

1– यह कि प्रस्तावित परसा कोल ब्लाक, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आबंटित है। इस खदान के वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति के लिए ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। प्रभावित ग्राम–साल्ही एवं हरिहरपुर में फर्जी ग्राम सभा दस्तावेज तैयार किये गये और उस कूट रचित दस्तावेज के आधार पर वन स्वीकृति हासिल की गई।

2– यह कि दिनांक–27.01.2018 को ग्राम–साल्ही में ग्रामसभा आयोजित की गई थी। उक्त ग्राम सभा प्रस्ताव में बिन्दु कमांक–01 से 21 तक प्रस्ताव पारित किये गये। इस ग्राम सभा के एजेण्डा में परसा कोयला खदान के वन भूमि डायवर्सन के प्रस्ताव की बात शामिल नहीं थी।

क्रमशः–3

फोन/फैक्स : 0771-2445621

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय :- भगतसिंह चौक के पास, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : staayog48@gmail.com

वेब साइट : www.cgstcommission.org

क्रमांक /अ.ज.जा.आ./ रायपुर, दिनांक .....

3– यह कि ग्रामसभा 21 बिन्दुओं के प्रस्ताव के साथ सरपंच, सचिव एवं ग्राम सभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ पारित हुआ था, जिसमें उपस्थिति संख्या 150 थी। जबकि अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सरगुजा द्वारा मान0 आयोग में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक–17.03.2022 में ग्राम सभा प्रस्ताव 23 बिन्दुओं में दिनांक–27.01.2018 में पारित होना लिखा गया है जो कि असत्य है। 02 बिन्दु ग्राम सभा सम्पन्न होने के बाद पृथक से जोड़ा गया है। ग्राम सभा दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है।

4– यह कि उक्त ग्राम सभा के विधिवत समापन के पश्चात गैर कानूनी तरीके से ग्राम सभा की गैर मौजूदगी में ग्राम सभा प्रस्ताव में 22वां बिन्दु जोड़ा गया, जो कि कोल ब्लाक प्रारम्भ किये जाने बाबत अनापत्ति के संबंध में है। ग्राम सभा में इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि जिला पंचायत और जनपद पंचायत से ग्राम–साल्ही की ग्राम सभा के आयोजन से संबंधित एजेण्डा में कोल ब्लाक प्रारम्भ किये जाने बाबत अनापत्ति के संबंध में कोई भी विषय शामिल ही नहीं था।

5– यह कि कम्पनी द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के समक्ष दिनांक–27.01.2018 की ग्राम–साल्ही में आयोजित ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई जो पूर्णतः फर्जी है। दरअसल ग्राम–साल्ही की ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में उपस्थिति संख्या 150 दर्ज है और कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में उपस्थिति संख्या 450 दर्ज है। साथ ही कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ग्राम सभा कार्यवाही पंजी झूठा एवं छद्म है जो कि अमान्य है। उक्त ग्राम सभा बैठक में ग्राम सभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः उक्त ग्राम सभा अवैध है।

सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक–27.01.20218 को ग्राम–साल्ही एवं दिनांक–24.01.2018 को ग्राम–हरिहरपुर में आयोजित ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव विधि अनुरूप नहीं होने विशेष ग्राम सभा हेतु जिला पंचायत द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने के लिए किसी भी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया, राजस्व

क्रमशः–4

अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में दिनांक–23.01.2018 को आयोजित ग्राम सभा को निरस्त कर पुनः दिनांक–27.01.2018 को ग्राम सभा रखा गया, जिसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार ग्राम–साल्ही एवं दिनांक–24.01.2018 को आयोजित परसाकोल ब्लाक के संबंध में आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव विधि अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त पारित प्रस्ताव में आयोग का अंतिम निर्णय होने तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही न करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का कष्ट करें।

आयोग का निकट भविष्य में सरगुजा संभाग का दौरा होना है, जिसमें समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन से चर्चा, बैठक होना है, जिसमें पुनर्वास एवं प्रतिकर अधिनियम–2013 का पालन किया जावे। ग्राम सभा सूची, ग्रामवासी वोटर्स की सूची तथा फोटोग्राफी, विडियोग्राफी की दो–दो प्रति तैयार आयोग प्रवास के पूर्व व्यक्ति विशेष के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मान. अध्यक्ष/सदस्य महोदय द्वारा अनुमोदित)

सचिव
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति
आयोग रायपुर

पृ.क./1706 /अजजाआ/2024 **रायपुर दिनांक–** 30/5/2024

प्रतिलिपी :–

आवेदकगण मुंशीप्रसाद पोर्ते, रामलाल करियाम, कवलसाय पोर्ते, एवं अन्य ग्रामवासी सभी निवासी ग्राम–साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर विकासखंड उदयपुर, जिला–सुरगुजा तथा ग्राम–तारा, चारपारा, जर्नानपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

सचिव
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति
आयोग रायपुर

Translation of relevant conclusions on Pages 3 & 4 of the above document

"Upon examination of the entire issue, it is known that the resolutions passed in the gram sabhas organised on 27.01.2018 in Salhi village, and on 24.01.2018 in Hariharpur village are not as per process. There was no directive by the zilla panchayat for a special gram sabha for land acquisition or change in the nature of the land. The record produced by the revenue officer does not mention the cancellation of the gram sabha for 23.01.2018 which was later scheduled for 27.01.2018. Therefore, on account of the resolutions pertaining to Parsa coal block passed during the meetings organised in Salhi and village and the one on 24.01.2018 not being in order, until the ST Commission passes a final order in the matter, there should be no interim action and the status quo should be preserved.

The Commission will be visiting the Surguja division in the near future, wherein discussions are scheduled with the leaders of the society, elected representatives, and district administration, wherein LARR 2013* rules should be followed. A list of gram sabhas, voters from the villagers, and photography and videography should be furnished in two copies and should be presented before the commission."

Secretary
Chhatisgarh State Scheduled Tribes Commission, Raipur

**Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013*

Translation by: Priyanshu Gupta, Researcher